आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैनुअल – चौदह

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(xiv),

किसी इलैक्ट्रानिक रूप मे सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसकी उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

- **डाटा डिजिटाईजेशन एवं आधार सीडिंगः–** राज्य के समस्त राशनकार्डों (NFSA/SFY) को शतप्रतिशत ऑनलाईन डिजिटाईजेशन करते हुये 95 % राशनकार्डों को आधार नम्बर से लिंक किया गया है। 77 प्रतिशत यूनिटों का आधार सीडिंग तथा कुल सीडेड यूनिटों का 62 प्रतिशत आधार वेलिडेशन यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से किया गया है । शीघ्र पूर्ण किये जाने का लक्ष्य ।
- **सप्लाई चेन ऑटोमेशनः–**एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत सप्लाई चेन (एफ0सी0आई0/बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम तक) रियल टाइम क्रियान्वयन प्रारम्भ। जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन आवंटन, इन्डेन्ट, ट्रक चालान, ऑनलाईन रिसिविंग व डिलिवरी ऑर्डर का कार्य किया जा रहा है।
- **एफ0पी0एस0 ऑटोमेशनः–** राज्य के समस्त 9225 राशन की दुकानों को सी0एस0सी0 (सिस्टम इन्टिग्रेटर के रूप में) के माध्यम से ऑटोमेट किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन आवंटन, इन्डेन्ट, ट्रक चालान, ऑनलाईन रिसिविंग व डिलीवरी ऑर्डर का कार्य किया जा रहा है ।
- **डी0बी0टी0:– कैश डी0बी0टी0** राज्य खाद्य योजना में कैश डी0बी0टी0 1 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ। राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 7.5 किग्रा चावल की सब्सिडी की धनराशि के बराबर मूल्य की धनराशि 75 रू0 कार्डधारकों के एकाउन्ट में। राज्य खाद्य योजना के लगभग 09.88 लाख राशन कार्डधारक (आधार सीडेड 98 प्रतिशत, बैंक सीडेड 55 प्रतिशत) पर लागू।

वित्त :-

- **एच0डी0एफ0सी0 :-** प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार के अन्तर्गत उपभोक्ताओं/सस्ता गल्ला विक्रेताओं से जमा की जानी वाली धनराशि में ड्राफ्ट के स्थान पर ऑनलाईन व्यवस्था लागू किया जाना ।

- **पी0एफ0एम0एस0 :-** भारत सरकार द्वारा पी0एफ0एस0 पोर्टल में EAT (Expenditure Advance Transfer) Module लागू किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–620 दिनांक 25–07–2019 के द्वारा नयी व्यवस्था लागू की जा चुकी है । जिसके अन्तर्गत प्राप्तियॉ तथा भुगतान उक्त खातों के माध्यम से ही किये जायेंगे ।

- **मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना :-**
  - उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में प्रचलित अन्त्योदय अन्त्योदय अन्न योजना, प्राथमिक परिवारों एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 23 लाख कार्डधारकों को सब्सिडाईज दरों पर दाल उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लागू की गई है ।
  - इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 2.00 किग्रा0 दाल मासिक रूप से बाजार भाव से कम दरों पर राज्य के सभी राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जायेगी ।

- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ` 15.00 प्रति किग्रा0 की सब्सिडी दी जायेगी ।
- इस योजना से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध होने से बाजारी मूल्य नियंत्रित होने के साथ–साथ मंहगाई से राहत मिली है तथा प्रोटी युक्त दाल से उपभोक्ताओं को पोषण भी प्राप्त हो रहा है।

- **<u>राज्य के काश्तकारों हेतु अतिरिक्त बोनस की घोषणा</u>** :-
  - रबी–विपणन सत्र 2019–20 के अन्तर्गत गूंहॅ खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ` 1840.00 प्रति कु0 पर राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों को उनकी उपज का अधिक लाभ प्रदान करने हेतु ` 20.00 प्रति कु0 का अतिरिक्त बोनस दिया गया है।

- **<u>मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ई–खरीद</u>** :-
  - राज्य में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में धान का क्रय ई–खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (National Procurement Portal) पर प्रदर्शित किया जा रहा है ।

- **<u>शिकायत निवारण (Grievance Redressal)</u>** :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शिकायतों के निस्तारण हेतु Grievance Redressal हेतु टोल फ्री न0 1800–180–2000 स्थापित किया जा चुका है। Online Grievance Redressal के लिये समाधान पोर्टल को विभागीय पोर्टल के साथ लिंक करते हुये मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया है।

- **<u>स्टेट कन्ज्यूमर हैल्पलाईन</u>** :-उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु राज्य के खाद्यायुक्त मुख्यालय पर उपभोक्ता हेल्पाईन की स्थापना की गई है । स्टेट कन्ज्यूमर हैल्पलाईन का टोल फ्री न0 1800–180–4188 है।

- **<u>राज्य खाद्य आयोग</u>**

(क) राज्य स्तर पर धारा–16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना की क्रम में धारा 15 के अर्न्तगत मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित।

(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी का कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई।

(घ) राज्य आयोग द्वारा जनपद स्तरीय आदेशों पर प्राप्त अपील सुनने का कार्य।

.....